:: न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र. ::

प्र.क. / निगरानी–13

R-2623-II/13

लाखनसिह पिता स्व.भेरूसिह राजपूत निवासी
ग्राम केथलाय तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.
———— निगरानीकर्ता

बनाम

1. शेख मसीद पिता शेख वहीद
2. शेख मजीद पिता शेख वहीद
3. शेख हफीज पिता खेख वहीद
4. सुगराबाई विधवा शेख वहीद मृत समस्त जाति मुसलमान निवासीगण दिलशाद होटल के पास मनिहार वाडी शाजापुर जिला शाजापुर म.प्र.

———— विपक्षीगण

334
29/5/2013

द्वितीय निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय गुलाना के प्रकरण क. 1अ70/11–12 आदेश 10–05–12 एवं श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय के प्रकरण क.50/निगरानी/12–13 आदेश दिनांक 8.4.13 से असन्तूष्ट होकर अवधी विधान सहित पेश

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता निम्नानुसार द्वितीय निगरानी पेश करता है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिस्पाडेन्टगण के द्वारा नायब तहसीलदार गुलाना के न्यायालय में रिस्पाडेन्टगण ने ग्राम केथलाय के भूमि सर्वे न. 1862 रकबा 1.10 तथा 1863रकबा 0.16 कुल सर्वे न.2 कुलरकबा 1.26 को सीमांकन दिनांक 26.6.09 के आधार पर निगरानीकर्ता से कब्जा प्राप्ती हेतू आवेदन प्रस्तूत किया गया था। जिसमें श्रीमान तहसीलदार गुलाना के यहा से तामील जारी नही की गई थी। जिस पर से मेने सीमांकन की नकले निकलवाकर अवधी विधान के आवेदन सहित अवेध सीमांकन की निगरानी श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर को की जो सुनवाई हेतू अपर कलेक्टर महोदय शाजापुर के यहा प्रकरण क. 50/12–13 पर दर्ज हूई थी जिसमें तामिल उपरांत सुगरा बी की मृत्यू होने पर निगरानीकर्ता ने आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश कर उसके वारीसान गण को जोडने बाबत आवेदन दिया था। जिसमें विपक्षीगण ने दिनांक 15.2.13 को धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता का आवेदन पेश किया जिस पर तर्क सुनने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण निगरानी को निरस्त किया जिसको निगरानीकर्ता को उपरोक्त आदेश दिनांक 7.5.13 को नोट करवाया जिसकी नकल हेतू निगरानीकर्ता ने दिनांक 10.5.13 को अविलम्ब आवेदन पेश किया जिसकी नकले आवेदक को को दिनांक 24.5.13 को प्राप्त हूई है इस कारण अवधी विधान सहित द्वितीय निगरानी पेश करना आवश्यक हूआ है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2623-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	